छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी, 2014 (पौष-27, 1935)

स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण तथा शून्यकाल की सूचनाओं को विधानसभा भवन में प्राप्त करने की व्यवस्था

फरवरी 2014 सत्र

माननीय सदस्यों को पत्रक भाग-दो, क्रमांक 16 दिनांक 8 जनवरी, 2014 द्वारा पूर्व में यह सूचित किया गया है कि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं त था नियम-267(क) के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं मंगलवार, 29 जनवरी, 2014 से कार्यालय दिवसों में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक एवं बैठक वाले ि दन प्रात: 8.00 बजे से श्री शिव कुमार राय, अपर सचिव, विधानसभा सचिवालय के कक्ष क्रमांक बी-15 में प्राप्त करेंगे और उनके अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में यह सूचनाएं सचिव प्राप्त करेंगे।

विधान सभा सत्र के प्रथम दिवस के लिये दी जाने वाली सूचनाएं प्राप्त करने हेतु माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये अपर सचिव श्री शिव कुमार राय के कक्ष क्रमांक बी-15 के समक्ष सूचना देने के लिये आने वाले माननीय सदस्यों तथा उनके द्वारा सूचना देने के लिये अधिकृत व्यक्तियों के लिये क्रमानुसार कुर्सियां लगी रहेंगी। इस स्थान पर विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा कर्मी भी उपस्थित रहेंगे, जो उपरोक्तानुसार क्रम से आने वाले सदस्यों अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था देखेंगे। इस प्रकार प्रातः 8:00 बजे तक सूचना देने के लिये आने वाले माननीय सदस्यों को तथा उनके प्रतिनिधियों को क्रमानुसार टोकन उपलब्ध कराये जाएंगे और टोकन क्रमांक के आधार एवं क्रमानुसार माननीय सदस्यों को पूर्वाह्न 11:00 बजे सूचना देने हेतु उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम एवं उसके अधीन जारी अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमश: 138(1) एवं 22(7-क) अनुसार - **"कोई सदस्य एक बैठक के लिये दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं दे सकेगा तथा कोई भी सदस्य किसी एक बैठक के लिये स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक सूचनाएं नहीं देगा"।** इस प्रकार सम्पूर्ण सत्रावधि में प्रत्येक माननीय सदस्य केवल **36 ध्यानाकर्षण सूचनाएं एवं 18 स्थगन प्रस्ताव** दे सकेंगे।

जो माननीय सदस्य प्रथम बैठक अथवा पश्चातवर्ती बैठकों के लिये एक से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचना अथवा स्थगन प्रस्ताव देना चाहेंगे, उन्हें ऐसी सूचनाओं में तिथिवार प्राथिमकता क्रम भी दर्शाना आवश्यक है।

जो माननीय सदस्य नियम 267(क) के अधीन सदन की जानकारी में कोई विषय लाने के इच्छुक हों, वह उस विषय को उठाने का संक्षिप्त कारण बताते हुए उसकी पूर्व सूचना निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में दे सकेंगे और ऐसे विषय माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने एवं संबंधित सदस्य का नाम पुकारे जाने पर ही ऐसे समय एवं तारीख, जो अध्यक्ष निश्चित करें, उठाये जा सकेंगे। नियम 267(क) के अधीन विषयों को उठाने के लिये कुल 10 मिनट ही उपलब्ध रहेंगे, जिस में समय क्रम के आधार पर प्राप्त सूचनाओं में से 5 सूचनाओं को ही एक बैठक में उठाया जा सकेगा।

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.